

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

फैस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विरक्त रूप से
	23.4.25	<p>पत्रावली भेज हुई। अतिवन्ता प्राप्ति अपेक्षित। प्रतिक्रिया की मांगना से पत्रावली दिनांक 15/5/25 को भेज दी।</p> <p style="text-align: center;">JSC</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>
	9.5.25	<p>पत्रावली भेज हुई। प्रतीक्षा एवं उनके अतिवन्ता अनुपस्थित। प्रकरण से संबंधित मूल काय बन्तर्गत आदेश-9 सिगम-3 जांच की. कृतवत अयम धाजरी व अयम पेरवी में खारिज किया जा चुका है। अतः प्रथम पर बन्तर्गत धारा 212 R.T.A. भी अयम धाजरी व अयम पेरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल अुमाट होकर नकार से काम होकर दाखिलदस्तु है।</p> <p style="text-align: right;">JSC</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>